न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— शिव चरण मीना
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
105 / 2022 / प्रा.पत्र / 2022	22.11.2022	13.04.2023

डॉ. मदन लाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

............आवेदक

बनाम

1—श्री राजेश कुमार थावरानी पुत्र श्री गोपीचन्द एफ.बी.ओ. मैसर्स राजेश एजेन्सीज बस स्टैण्ड कैम्पस देवली जिला टोंक राज. निवासी बाबा रामदेव मन्दिर के पास विवेकानन्द कॉलोनी देवली जिला टोंक राज.

..............अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफ.एस.एस. एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित—

1—पेरोकार सरकार।
2—अप्रार्थी के प्रतिनिधि उप.।

:—**निर्णय**—: **दिनांक 13.04.2023**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 23.08.2022 को समय 03:21 पी.एम पर मैसर्स राजेश एजेन्सीज बस स्टैण्ड कैम्पस देवली जिला टोंक पर पहुँचा। वहाँ पर श्री राजेश कुमार थावरानी पुत्र श्री गोपीचन्द मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री राजेश कुमार थावरानी ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया एवं खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थ के साथ **शुगर बॉयल्ड कन्फैक्शनरी स्मूथ मिल्क केरेमल कैन्डी आर. जे. अम्बर ब्राण्ड (Sugar Boiled Confectionary Smooth Milk Caramel Candy R.J. Amber Brand)** 450—450 ग्राम के 8 नग रखे हुए थे, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री राजेश कुमार थावरानी को फार्म न. 5ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर विक्रेता को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर बताकर कि यह **शुगर बॉयल्ड कन्फैक्शनरी स्मूथ मिल्क केरेमल कैन्डी आर. जे. अम्बर ब्राण्ड (Sugar Boiled Confectionary Smooth Milk Caramel Candy R.J. Amber Brand)** वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 450—450 ग्राम के 4 नग खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 450–450 ग्राम के 8 नग कुल मात्रा 1800 ग्राम **शुगर बॉयल्ड कन्फैक्शनरी स्मूथ मिल्क केरेमल कैन्डी आर. जे. अम्बर ब्राण्ड** को ज्यों का त्यों मूल अवस्था में कागज के गत्ते के डिब्बों में बराबर–बराबर भरकर ढक्कन से एयरटाईट बन्द किया एवं नियामनुसार चार भाग तैयार किए एवं चारों नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–3262 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3262 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारो नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक द्वारा नमूना क्रय करते समय श्री राजेश कुमार थावरानी पुत्र श्री गोपीचन्द ने मौके पर बतौर वारन्टी कोई खरीद बिल पेश नहीं किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया एवं एक नमूना खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को भेजा एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2022/3308 दिनांक 19.09.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./2671/एक्ट/2022/2705 दिनांक 01.09.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु क्रय किया गया **शुगर बॉयल्ड कन्फैक्शनरी स्मूथ मिल्क केरेमल कैन्डी आर. जे. अम्बर ब्राण्ड** एफ.एस.एस.ए.की धारा 3(1)(zf)(C)(i) का उल्लंघन करने के कारण **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से उनके प्रतिनिधि श्री अमित जैन उपस्थित हुए एवं बहस की एवं अपनी बहस में अप्रार्थी की ओर से जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति आरोपित करने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **शुगर बॉयल्ड कन्फैक्शनरी स्मूथ मिल्क केरेमल कैन्डी आर. जे. अम्बर ब्राण्ड** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **शुगर बॉयल्ड कन्फैक्शनरी स्मूथ मिल्क केरेमल कैन्डी आर. जे. अम्बर ब्राण्ड (Sugar Boiled Confectionary Smooth Milk Caramel Candy R.J. Amber Brand)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 10,000/–(अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 13.04.2023 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.04.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(शिव चरण मीना)
न्याय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0